



TELEVISION RATING GUIDELINES

TV rating has been mired amid a controversy surrounding its viewership data for TV news channels and the Broadcast Audience Research Council (BARC) had suspended its weekly ratings of TV news channels for a brief period. The new guidelines introduced by the Govt will hopefully usher in a more transparent methodology.

The present guidelines issued by the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) on Television Rating Agencies in India were notified after detailed deliberations by the Parliamentary Committee, Committee on Television Rating Points (TRP) constituted by the MIB and recommendations of Telecom Regulatory Authority etc.

Based on the operation of the guidelines for a few years, there is need to have a fresh look on the guidelines particularly keeping in view the recent recommendations of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), technological advancements interventions to address the system and further strengthening of the procedures for a credible and transparent rating system, a Committee is hereby constituted to study different aspects of the television rating system in India as they have evolved over a period of time. The Committee shall carry out an appraisal of the existing system, examine TRAI recommendations notified from time to time, overall industry scenario and addressing the needs of the stakeholders and make recommendations for robust, transparent and accountable rating system through changes, if any, in the existing guidelines.



टेलीविजन रेटिंग दिशानिर्देश

टीवी समाचार चैनलों के लिए दर्शकों की संख्या के आंकड़ों के विवाद के बीच टीवी रेटिंग को हटा दिया गया है और बॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) ने एक संक्षिप्त अवधि के लिए टीवी समाचार चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग को निलंबित कर दिया है। सरकार द्वारा पेश किये गये नये दिशा-निर्देश, उम्मीद से अधिक पारदर्शी कार्यप्रणाली की शुरूआत करेंगे।

भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा जारी किये गये मौजूदा दिशा-निर्देशों को एमआईबी द्वारा गठित संसदीय समिति, टेलीविजन रेटिंग प्लाइंट्स (टीआरपी) समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अधिसूचित किया गया और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आदि की सिफारिश की गयी। यह पाया गया है कि कुछ वर्षों के लिए दिशा-निर्देश संचालन के आधार पर, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की हालिया सिफारिशों, तकनीकी प्रगति/हस्तक्षेपों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों पर एक विश्वनीय व पारदर्शी रेटिंग प्रणाली के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने की आवश्यकता के चलते नये सिरे विचार करने की आवश्यकता है। भारत में रेटिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है क्योंकि वे समय के साथ विकसित हुई हैं। समिति मौजूदा प्रणाली का मूल्यांकन करेगी, ट्राई की सिफारिशों को समय-समय

पर अधिसूचित, समग्र उद्योग परिदृश्य और हितयारकों की जरूरतों को संबोधित करते हुए और मौजूदा दिशानिर्देश में, यदि कोई हो, बदलाव के माध्यम से मजबूत, पारदर्शी और जवावदेह रेटिंग प्रणाली के लिए सिफारिशें करेगी।



TV MEASUREMENT

The composition of the Committee shall be as under:-

- i) **Shri Shashi S. Vempati**, CEO, Prasar Bharti
Chairman
- ii) **Dr Shalabh**, Professor of Statistics, Department of Mathematics and Statistics, IIT Kanpur
Member
- iii) **Dr. Rajkumar Upadhyay**, Executive Director, C-DOT
Member
- iv) **Professor Pulak Ghosh**, Decision Sciences Centre for Public Policy (CPP)
Member

The Terms of Reference for the committee shall be as under:

- ❖ Study past recommendations made by various forums on the subject of television rating systems in India and matter incidental thereto;
- ❖ Study recent recommendations of Telecom Regulatory Authority on the subject;
- ❖ Suggest steps for enhancing competition in the sector;
- ❖ Review of the presently notified guidelines to see if the intended purpose(s) of issuing the guidelines have stood the test of time and has met needs of various stakeholders involved. The lacunae, if any, shall be specially addressed by the Committee;
- ❖ Any issues related or incidental to the subject;
- ❖ To make recommendations on way forward for robust, transparent and accountable rating system in India; and
- ❖ Any other related issues assigned by MIB from time to time.

The Committee may invite any expert as a special invitee. The Committee shall submit its report to Hon'ble Minister for Information & Broadcasting within two months of the date of issue of this order.

This has the approval of the competent authority. ■

समिति की संरचना निम्नानुसार होगी।

- i) **श्री शशि एम वेष्टि**, सीईओ, प्रसार भारती अध्यक्ष
- ii) **डॉ. शलभ**, सांख्यिकी के प्रोफेसर, गणित व सांख्यिकी विभाग, आईआईटी कानपुर सदस्य
- iii) **डॉ. राजकुमार उपाध्याय**, कार्यकारी निदेशक, सी-डॉट सदस्य
- iv) **प्रोफेसर पुलक घोष**, डिसिजन साइंस, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी (सीपीपी)

समिति के लिए संदर्भ शर्तें निम्नानुसार होगी।

- ❖ भारत में टेलीविजन रेटिंग सिस्टम के विषय पर विभिन्न मंचों द्वारा किये गये पिछले सुझावों और आकस्मिक मामले का अध्ययन करें।
- ❖ विषय पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की हालकी सिफारिशों का अध्ययन करें।
- ❖ क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सुझाव दें।
- ❖ वर्तमान में अधिसूचित दिशानिर्देशों की समीक्षा यह देखने के लिए कि क्या दिशा निर्देश जारी करने का इरादा उद्देश्य समय की कसौटी पर खरा है और इसने विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को पूरा किया है, जिसमें, यदि कोई हो, शामिल है तो समिति द्वारा विशेष रूप से संबोधित किया जायेगा।
- ❖ किसी भी मुद्दे या विषय से संबंधित आकस्मिकः
- ❖ भारत में मजबूत, पारदर्शी और जवावदेह रेटिंग प्रणाली के लिए आगे बढ़ने की सिफारिश करनाः और
- ❖ समय-समय पर एमआईटी द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य संबंधित मुद्दे।

समिति किसी भी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रण की तरह आमंत्रित कर सकती है। यह समिति दो महीने के भीतर सूचना व प्रसारण मंत्री को अपनी रिपोर्ट देगी।

इसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति है। ■



INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

**... You Know What You are doing
But Nobody Else Does**

ADVERTISE NOW!

**SATELLITE
& Cable TV**

- ❖ In-depth & Unbiased Market Information
- ❖ Technology Breakthroughs
- ❖ Comprehensive Circulation Across The Satellite & Cable TV Industry

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: scat.sales@nm-india.com